


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2016/वैशाख 13, 1938

No. 02]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016/ VAISAKHA 13, 1938

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.नि.आ. 02(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 मई, 2016 से जबलपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता होगी।

[फा. सं. 5(5)/2010-डी(एएफटीसी)]

अशोक डोंगरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.R.O. 02(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Jabalpur with effect from the 9th day of May, 2016, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Chhatisgarh and Madhya Pradesh.

[F. No. 5(5)/2010-D (AFTC)]

ASHOK DONGRE, Jt. Secy.